



प्ररूप 2ड
(नियम 4 देखिये)
नाम निर्देशन—पत्र

08
2:15 PM
(०१.११.२०२०)

इलाहाबाद—झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
न क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के लिये निर्वा-



भाग—१

हम उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान पारिषद के नवाचन के लिये
इलाहाबाद—झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम श्रावनभ
(मिता/माता/पति का नाम) निजामुद्दीन

उसका डाक पता इसराइल श्वान दृष्टि (पिलमा पालोन)
उसका नाम २२० कोलम्पी विधान सभा/निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ३७६
में क्रम संख्या १७८ पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम इलाहाबाद—झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली संख्या		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या			
1.	2	3	4	5	6
1	130	72	इसराइल श्वान	इसराइल श्वान	10-11-20
2	130	73	इसमाइल श्वान	इसमाइल श्वान	10-11-20
3	130	159	निजामुद्दीन	निजामुद्दीन	10-11-20
4	130	218	जरहीन श्वान	जरहीन श्वान	10-11-20
5	130	371	शहादुल श्वान	शहादुल श्वान	10-11-20
6	130	429	मिशामुद्दीन श्वान	मिशामुद्दीन श्वान	10-11-20
7	130	514	हाजी विलाल	हाजी विलाल	10-11-20
8	105	24	नाजिमा श्वान	नाजिमा श्वान	10-11-20
9	106	85	शाहिल श्वान	शाहिल श्वान	10-11-20
10	106	90	माझद श्वान	माझद श्वान	10-11-20

* प्रस्थापक निर्वाचन क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :—

(क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है,

(ख) मैंने 43 वर्ष की आयु पूरी कर ली है,

(ग) मैं इस निर्वाचन में बु-देल खण्ड कार्यालय दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी
की गई हूँ।
(पंजाकृत)

(घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर १८-३ (भाषा का नाम) में
सही रूप से लिखा गया है, और

(ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से
उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिये चुने जाने हेतु अर्हित हूँ
और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्पिक
निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही
किया जाऊँगा।

Shabnam

तारीख 10.11.2020

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जो लाभ न हो, उसे काट दें।

भाग-2
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

. सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है,

जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

—१८—

हाँ/नहीं

—१९—

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याकं लागू रही है
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं है जिला (ज़िले) लागू नहीं है राज्य लागू नहीं है
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू रही है
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख / (तारीखें) लागू रही है
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू रही है
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें लागू नहीं है
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू रही है
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण फाइल किए गये थे : हाँ/नहीं लागू रही होमर्है
- (ix) फाइल की गयी अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीख लागू रही है
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गये थे लागू रही है
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं लागू रही है
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो—
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू रही है
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू रही है

- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है?
— नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, धारित पद के बौरे लाभपत्री
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, वृथा उसे दिवालियापन से उम्मोचित कर दिया गया है नहीं
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुष्टुति के अधीन है? नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, बौरे दीजिए लाभपत्री
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है?
नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, निरहित किए जाने की अवधि लाभपत्री
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभावित के लिए पदच्युत किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख लाभपत्री
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यष्टि हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएँ) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेयर रखता है? नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, तो कौन सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा(ओं) के बौरे लाभपत्री
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूँजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेयर नहीं रखती है? नहीं (हां/नहीं)
— यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके बौरे लाभपत्री
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? नहीं
(हां/नहीं)
— यदि हां, निरहित की तारीख लाभपत्री लेखा

स्थान : आलपी

तारीख : 10/11/2020

shabnam

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा मरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 08

यह नामनिर्देशन मुझे / मेरे कार्यालय न्यायालय कक्ष, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी में 10.11.2020
..... (तारीख) को 2.15 PM (बजे) अव्यर्थ / प्रस्थापक श्रीमति
..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 10.11.2020


रिटर्निंग आफिसर

भाग-4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्यच

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्यय करता हूँ :—

तारीख

रिटर्निंग आफिसर



प्रृष्ठ 26
(नियम 4क देखिए)



(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदर का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटार्निंग नोटरियल के 19 संख्या
अध्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मेरा नाम... "पुत्र/पुत्री/पत्नी निषामुड़ीन आयु 43 वर्ष, जो..... (डाक का पूरा पता लिखें)
का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अध्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं,
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं राजनीतिक दल का नाम ("राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अध्यर्थी/एक
स्वतंत्र अध्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 23.01.1981 (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 376 के
क्रम सं 175 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरी 9532592209 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और ईमेल रही है, मेरा ईमेल पता
(यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

(i)...मोबाइल है

(ii)...मोबाइल है

(iii)...मोबाइल है


(4) स्थाई लाता संख्या (पैन) और आगे कर विवरणी फाइल नामों की प्राप्ति:

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थाई लाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च का) के लिए आयकर - विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वर्य	FHMPS34903	लाइनरही सैटर्डे	लाइनरही (i)
			लाइनरही सैटर्डे	लाइनरही (ii)
			लाइनरही सैटर्डा	लाइनरही (iii)

B. S. Mehrotra
S. P. O. 6/1/20

			लागू करें।	लागू करनी चाहिए।
2.	पति या पत्नी	AUXPN 57275	लागू-दीर्घावे लागू-कर्तव्य लागू-स्थानिक लागू-शीघ्रावे लागू-व्यापक	लागू-दीर्घावे लागू-कर्तव्य लागू-स्थानिक लागू-शीघ्रावे लागू-व्यापक
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अन्यथा करता या सहदायिक है)	लागू-ही हो	लागू-ही है	(i) लागू-ही
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(i)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(ii)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(iii)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(iv)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(v)
4.	आश्रित - 1 लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही	लागू-ही(i)
	लागू-ही	लागू-ही	लागू-ही	लागू-ही(ii)
	लागू-ही	लागू-ही	लागू-ही	लागू-ही(iii)
	लागू-ही	लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही(iv)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(v)
5.	आश्रित - 2	लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही(i)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(ii)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(iii)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(iv)
	लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(v)
6.	आश्रित - 3 लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(i)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(ii)
	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(iii)
	लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(iv)
	लागू-ही	लागू-ही है	लागू-ही है	लागू-ही(v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।



(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
 (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

गा

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: लागू रही होता है
 (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिह्नांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यापै दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाले के नाम और पठे के साथ प्रथम इतिला रिपोर्ट सं.	लागू रही है दोता है	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है
(ख)	व्यायामालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू रही है	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें अर्थात् आरतीमां वंड सहित, आदि की धारा.....)	लागू रही है है	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है
(घ)	आपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू रही होता	लागू रही	लागू रही होता है
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू रही होता है	लागू रही है	लागू रही दोता है
(च)	यदि उपरोक्त गद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है
(ज)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है	लागू रही दोता है

(6) दोषसिद्धि के मामले:-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि मुझे किसी आपराधिक मामले से दोषसिद्धि नहीं किया गया है।
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्धि नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नांकित करें और नीचे
विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

गा

(ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू-रही दोषादेश
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यारे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(ग)	अंतर्वलित अधिजियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे. अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीख	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(च)	अधिरोपित दंड	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अधील फाईल की गई है (हाँ या नहीं का उल्लेख करें)	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हाँ है, तो अधील के ब्यारे तथा वर्तमान प्रास्तिति दें	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश	लागू-रही दोषादेश

(6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(1) और पैरा 6(1) में की प्रविन्दियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]



टिप्पणी:

1. व्यारे स्मष्टि रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तरों के अधीन प्रत्येक सामग्रे के लिए व्यारे पृथक रूप से दिए जाएं।
3. व्यारे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम सामग्रों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य सामग्रों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण के अनुपालन में सभी सूचनाएं देवों का उत्तरदाती होंगी।

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आस्तियों की आस्तियाँ (जंगम और स्थावर आदि) के व्यारे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के व्यारे:

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अधिग्रहित है(है), जिसके ग्राय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आवित हैं।

टिप्पण 5 - रकम सहित व्यारे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - व्यारों में अपठाट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सन्तुलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण:- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपठाट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के व्यारे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के व्यारे अधिग्रहित हैं;

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविवाहित कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	40358	32380	मिशन लैबेल	लालू लौहार	लालू लौहार	लालू लौहार

(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, और बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	5332 10.000	6155 15000	लागू होता है				
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में वंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के व्यौरे और रकम	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के व्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	95059	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक क्रण/अधिकार और क्रियाओं से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
(vi)	मोटर यान वाहन/वायुयान/याच/पोत (भेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
(vii)	जैवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के व्यौरे)	100000 2 लाख	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
(ix)	सकल कुल मूल्य	250749	53535	लागू होता है				



ग्र. स्थावर आस्तियों के व्यौरे

ये स्थावर आस्तन्य के बिपर
टिप्पणि १ - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में अस्तित्यों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3 - व्यारों में अपतट आस्तियाँ का स्वामित्व या उनमें हित सम्बलित होना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	लागू रही दोसरी 243	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू में 2.28	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू रही दोसरी है	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू रही लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू-रही दोसरी दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
(ii)	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू-रही दोसरी 2.लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	गैर कृषि भूमि; अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएँ)	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	क्षेत्र (वर्गी कुट में कुल माप)	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू-रही दोसरी लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी	लागू-रही दोसरी

Shabnam

8

Shabnam

(vi)	पूर्वांकत (I) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागू देश	2 कारों वापस	लागू रही देश	लागू होमाल	लागू देश	लागू होमाल
------	--	----------	--------------	--------------	------------	----------	------------

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों को शोध्यों के द्वारा नीचे देता हूँ:-
 (टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यापिक के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के व्यौरों का अलग-अलग विवरण दें।)

क्रम सं.	विवरण.	स्वर्य	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आभित-1	आभित-2	आभित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को क्रण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, क्रण की प्रकृति पूर्वांकत वाणित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यापिकों, निकाय को क्रण या शोध्य नाम, बकाया रकम, क्रण की प्रकृति	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश	लागू रही देश
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? नहीं ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-		क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? नहीं ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-		क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? नहीं ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हाँ है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-	कृपया उपरोक्त विकल्प पर लगी का निशान लगाएं
	(i) सरकारी आवास का पता: लागू रही देश						
	(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मद्देने कोई शोध्य संदेश नहीं हैं- (क) भाटक; (ख) विद्युत प्रभार; (ग) जल प्रभार, और (घ)(तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित						



		किया जाता है, पूर्व तीसड़े मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए। टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत् संबंधित आधिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	लाइन रवि दोता	लाइन रवि दोता
	स्वयं पति/पत्नी हिंदू अविवाहित कुटुंब	आश्रित-1 आश्रित-2 आश्रित-3	लाइन रवि दोता
(iv)	आयकर शोध्य	लाइन रवि	लाइन रवि
(v)	जीएसटी शोध्य	लाइन रवि	लाइन रवि
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लाइन रवि	लाइन रवि
(vii)	कोई अन्य शोध्य	लाइन रवि	लाइन रवि
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लाइन रवि	लाइन रवि
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	लाइन रवि दोता	लाइन रवि दोता

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं
 (ख) पति या पत्नी
 (ग) पति या पत्नी
 (घ) पति या पत्नी

(9क) आय के जोतों के ब्यौरे-

- (क) स्वयं
 (ख) पति या पत्नी
 (ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हैं.....

(9ख). समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए-

- (क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
 (ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे
 (ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे



- (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आक्षित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे.....मामूली होता
- (ङ) आगीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आक्षित आगीदार हैं.....मामूली होता
- (च) प्राइवेट कन्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आक्षित हिस्सा हैं.....मामूली होता

(10) मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिए अनुसार है:-

पोर्टल रेजिस्ट्रेशन सं. 2003 बुनियोदरा विश्वविद्यालय जांकी ३०८

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, वज्र द्वारा दै)

Shabnam



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का सारांश

1.	अन्यथा का नाम	श्री/श्रीमती/कु. ३१८१५				
2.	जाक का पूरा पता	२९ टॉलनगां, लालपुर गिलानी				
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	झुलाईवाला-झोली अखड़ा २-राजस्थान निवासी ज़ेन्ट्र				
4.	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अन्यथा को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	बु-देलखण्ड लोक दल				
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	नामूदी हैं				
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया हैं।	नामूदी हैं				
7.	स्थायी ज़ेन्ट्रा सं. (पैना)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अन्यथा FHNPS 3490 D	नामूदी है	०			
	(ख) पति या पत्नी AUXPN 5727 E	नामूदी है	210520			
	(ग) हिंदू अधिभक्त कुटुंब	नामूदी है	नामूदी है			
	(घ) आश्रित	नामूदी है	नामूदी है			
8.	आस्तियां और दायित्वों (अपतट आस्तियां सहित) के रूपयों में ब्यौरे-					
	विवरण	स्वयं पति या पत्नी	हिंदू अधिभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(क)	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	२५०७४९	५३५३५	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है
सं.	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागत हो)	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है	नामूदी है



Shabnam

	III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
	(क)	स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
	(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू होता है	2 लाख कपमा	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
9.	दायित्व							
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ब्रह्मण (कुल)	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू होता है		लागू होता है	लागू होता है			
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ब्रह्मण (कुल)	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है	लागू होता है
11.	उच्चतम शैक्षणिक अहंता :							
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, वज्र ब्यांग है।) पेस्ट ब्रेप्रस्ट सन् २००३ बु-५८८२००८ विश्वविद्यालय, काशी।						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु
मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भ्राम नियम नहीं है तथा इस
से कोई भी तात्पर्यक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-



(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से बिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग के की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से बिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 6/11/2016 को सत्यापित किया गया।



टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को धरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।

Shabnam